न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 31/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
देवाराम पुत्र गोवदाराम कौम–कलबी, निवासी–गंगासरा तहसील व जिला–सांचौर		केहरा वल्द हरसिंगा, कौम– रेबारी, निवासी–गंगासरा तहसील व जिला–सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 31.08.2012

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.08.2024

वकील मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा गंगासरा, पटवार हल्का–अचलपुर, तहसील–सांचौर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 3.84 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त का आया हुआ है। प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या में आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं उक्त रास्ता सहमति से तय नहीं हो पा रहा है। उक्त खेत में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता प्रार्थी को है। ग्राम गंगासरा के खसरा संख्या 207 रकबा 2.13 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम से आवेदक हेतु रास्ता निकटतम और सुविधाजनक है। अतः राजस्व प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 207 रकबा 2.13 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से प्रार्थी को रास्ता उपयोग हेतु राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी खसरा संख्या 199 रकबा 3.84 हैक्टेयर में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 207 रकबा 2.13 हैक्टेयर से रास्ते की मांग की है। किसी भी खातेदारी जोत के सुविधापूर्ण उपयोग के लिए रास्ते की व्यवस्था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं की गई है। अप्रार्थी को तंग एवं परेशान करने के लिए रास्ते की मांग की गई है। आवेदित स्थान पर अप्रार्थी की रहवासी ढाणी बने होने से इस स्थान से रास्ता देय नहीं है। राजनैतिक [illegible] विवादग्रस्त स्थल से रास्ता मांगा गया है। प्रार्थी ने कहीं यह जाहिर नहीं किया है कि [illegible] आवश्यकता किस प्रकार आत्यांतिक है। प्रार्थी ने आवेदित मार्ग का कभी प्रयोग नहीं किया है और अपनी खातेदारी में सदैव ही कृषि कार्य करता रहा है। अतः भूमिधारी तहसीलदार सांचौर को पक्षकार संयोजित नहीं करने एवं प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के आधारहीन, सारहीन व विधि वर्जित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 31.08.2012 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया गया। अप्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की जिसके निर्णय में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर का निर्णय यथावत रखा गया एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने भी उपखण्ड अधिकारी सांचौर के निर्णय को सही माना। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए नवीन सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किये, जिसकी पालना में तहसीलदार सांचौर से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सांचौर ने मौका रिपोर्ट दिनांक 26.08.2013 एवं मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.10.2022 जो करीबन 10 वर्षों के अन्तराल पर तैयार की गई है, उसमें आवेदित मार्ग को निकटतम माना है एवं इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खसरा संख्या 199 हेतु मार्ग की कोई अन्य विकल्प की अनुपलब्धता को जाहिर किया है। मौका जांच रिपोर्ट 26.08.2013 से जाहिर है कि आवेदित स्थल पर कोई निर्माण नहीं है। अतः रास्ते का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र के कथन दोहराते हुए आवेदन पत्र को विधि से बाधित एवं प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य माना है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में कानुनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जो में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या ना मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह मात्र केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित चा चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251'ए' में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसकी आत्यांतिक आवश्यकता हो, साथ ही कोई भी वैकल्पिक रास्ता उपलबध नहीं हो। भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.10.2022 से स्पष्ट है कि सरहद मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 3.84 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, अतएव प्रार्थी की आवश्यकता आत्यांतिक है। खसरा संख्या 199 के आवागमन हेतु आवेदित रास्ता जिसकी मांग खसरा संख्या 207 रकबा 2.13 हैक्टेयर से की गई है, सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक है। मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 26.08.2013 में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदित भूमि पर कोई निर्माण नहीं है एवं भूमि मौके पर खाली है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा गंगासरा, पटवार मण्डल अचलपुर के खसरा संख्या 207 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 198 की सीमा के सहारे–सहारे भू अभिलेख निरीक्षक सरवाना द्वारा प्रस्तावित 115 मीटर लम्बे एवं 4 मीटर चौड़े रकबा 0.0460 हैक्टेयर भाग [illegible] री की अभिघृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से रकबा 0.0460 हैक्टेयर [illegible] सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:57 IST
Reason: SelfAttested

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

भू. अभिलेख निरीक्षक सरवाना की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम पंचायत गंगासरा के खसरा संख्या 207 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से खसरा संख्या 198 की सीमा के सहारे सहारे 115 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौड़ाई अर्थात् कुल रकबा 0.0460 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की अभिघृति निर्वापित करते हुए इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 (1) (II) (क) के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 207 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें।

प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर से तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार/वारिशान राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:59:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner